

**भाग-2**  
**(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)**

7	परियोजना /स्कीम का स्थान	जनपद-गोरखपुर में गेल इण्डिया लि. के द्वारा 18" व्यास की गैस पाइप लाइन (जगदीशपुर-हल्दिया एण्ड एस पर लाइन) डाले जाने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में
(क)	राज्य /संघ शासित क्षेत्र	उत्तर प्रदेश
(ख)	जिला	गोरखपुर
(ग)	वन प्रभाग	गोरखपुर वन प्रभाग, गोरखपुर
(घ)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र हेक्टेयर में	0.1540 हेक्टेयर
(ङ)	वन की कानूनी स्थिति	संरक्षित वन क्षेत्र
(च)	हरियाली का घनत्व	0.4
(छ)	प्रजातिवार वैज्ञानिक नाम परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाए	परियोजना में किसी वृक्ष का पातन नहीं हो रहा है।
(ज)	भू-क्षरण के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	नहीं है।
(झ)	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमोदित दूरी	संरक्षित वन के अन्तर्गत है।
(त)	क्या फार्म राष्ट्रीय उद्यान, वनजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व, हाथीकोरीडोर आदि का भाग है ? (यदि हाँ क्षेत्र का ब्यौरा प्रमुख वनजीव वार्डन की टिप्पणियों अनुबन्धित की जाए)	नहीं।
(थ)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणी जाति को दुर्लभ/संकटापन एवं विशिष्ट प्रजाति पाई जाती है यदि हाँ /तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	नहीं।
(द)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय /पारम्परिक स्थल/ रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है यदि हाँ तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा समक्ष प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	नहीं।
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कालम-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है, यदि नहीं तो मांगे गये विकल्पों के ब्यौरों के साथ मदवार संस्तुत क्षेत्र क्या है ?	परियोजना के लिए संरक्षित वन भूमि अपरिहार्य एवं न्यूनतम है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है ? हाँ /नहीं यदि हाँ तो कार्य का ब्यौरा दें। क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी चल रहे हैं ?	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा	वृक्षों का पातन नहीं होना है अतः आवश्यक नहीं है
(क)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अव क्रमित वन क्षेत्र आसपास के वन या उसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार	आवश्यक नहीं है

(ख)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए सभी निर्धारित वनेत्तर क्षेत्र /अवक्रमित वनीकरण के लिए निर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र और आसपास की वन सीमाओं को दर्शाता मानचित्र	आवश्यक नहीं है
(ग)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूचित ढांचा आदि	आवश्यक नहीं है
(घ)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय	रु0 1,83,900.00
(ङ)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभी निर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्ध की दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाये।	संलग्न है।
11	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषता उपयुक्त कालम नं0-7 (11, 12), 8, 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए संलग्न करें।	संलग्न है।
12	विभाग /जिला प्रोफाईल	
क	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	3484.00 वर्ग किमी0
ख	जिले का वन क्षेत्र	5713.0 हेक्टेयर
ग	मामलों की संख्या 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	60.38 हे0 15 प्रस्तावों के सापेक्ष
घ	1980 से जिला /प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है तथा गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 48860 पौधों का रोपण किया गया है।
(i)	दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वन भूमि वनीकरण वन भूमि पर	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है।
(ii)	वनेत्तर भूमि पर	गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 48860 पौध का रोपण किया गया है।
ङ	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है तथा गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 48860 पौधों का रोपण किया गया है।
(i)	वन भूमि पर	8.26 हेक्टेयर वन भूमि पर 9086 पौध का रोपण किया गया है।
(ii)	वनेत्तर भूमि पर	गैर वन भूमि पर मार्गों के किनारे 48860 पौध का रोपण किया गया है।
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव की अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उपवन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्ताव स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

  
 (आरुण यादव)  
 प्रभागीय वनाधिकारी  
 Sambhar Forest Division  
 Sambhar